भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 306**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 3 फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

काली मिर्च का आयात

306. श्री हिबी ईडनः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने काली मिर्च से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढती प्रतिस्पर्धा को महसूस किया है,

(ख) यदि हां, तो विभिन्न भारतीय पत्तनों से काली मिर्च के निर्यात को बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं,

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वैश्विक स्तर पर स्वयं भारत सबसे बड़ा काली मिर्च का उत्पादक होने के बावजूद भारतीय बाजार में श्रीलंका से काली मिर्च के आयात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत में काली मिर्च के आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : भारतीय काली मिर्च अन्तरराष्ट्रीय बाजार में काली मिर्च का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख देशों जैसे वियतनाम, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। भारत ने वर्ष 2020 में 61000 मी.ट. का उत्पादन किया है जो कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 10% है। भारतीय काली मिर्च विश्व बाजार में काली मिर्च की सबसे महँगी किस्मों में से एक है।

मसाला बोर्ड के माध्यम से काली मिर्च सहित मसाला और मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यातकों को सहायता देने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मसाला बोर्ड, वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, सम्पूर्ण मसाला आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल देता है। इसमें व्यापार संवर्धन, उत्पाद विकास और अनुसंधान, अवसंरचना विकास,

विदेशों में भारतीय मसाला ब्रैण्डो का संवर्धन, प्रमुख मसाला उत्पादन/विपणन केन्द्रों में सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भण्डारण के लिए सामान्य अवसंरचना की स्थापना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना इत्यादि पर प्रमुख रूप से जोर दिया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मसाला क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।

(ग) से (ड.) वर्ष 2017-18 में श्री लंका से काली मिर्च के आयात में वृद्धि हुई थी। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण, वर्ष 2018-19 से श्रीलंका से काली मिर्च के आयात में कमी आ रही है। काली मिर्च के आयात की मात्रा वर्ष 2017-18 के 13673.95 मी.ट. से घटकर वर्ष 2019-20 में 5178.89 मी.ट. रह गई है।

सरकार ने दिनांक 6.12.2017 की विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के तहत काली मिर्च का सीआईएफ मूल्य 500 रूपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम आयात कीमत के रूप में निर्धारित किया है। तदुपरांत, दिनांक 21.3.2018 की डीजीएफटी अधिसूचना के तहत काली मिर्च का 500/- प्रति किग्रा अथवा उससे अधिक कीमत पर आयात को मुक्त (फ्री) करके और 500/- रूपये प्रति किग्रा से कम के आयात को प्रतिबंधित करके इस न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) की अधिसूचना में संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त, सरकार व्यापार करारों और अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत शामिल देशों के अतिरिक्त अन्य सभी देशों से काली मिर्च के आयात पर 70% का शुल्क अधिरोपित करती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के अनुरोध पर, श्री लंका ने भारत के गंतव्य वाले तृतीय देश के काली मिर्च शिपमेंट के लिए उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करने से रोकने के लिए एक नई कार्यप्रणाली आरम्भ की है।

***